



-: अल्पकालीन सूचना :-

बिहार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2016 में वर्णित प्रावधानों एवं सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक 9432 दिनांक 14.06.2024, पत्रांक 14396 दिनांक 10.09.2024 तथा सरकार के विशेष सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 1/235208/2025 दिनांक 30.04.2025 में निहित प्रावधानों एवं निदेशों के आलोक में बक्सर जिलान्तर्गत बक्सर एवं डुमरौव अनुमण्डल क्षेत्रान्तर्गत जन वितरण प्रणाली के दुकानों की रिक्तियों की विवरणी निम्न प्रकार है :-

क्र०	अनुमण्डल का नाम	अनारक्षित		अनुसूचित जाति		अनुसूचित जन जाति		अल्पकालीन पिछड़ा वर्ग		पिछड़ा वर्ग	पिछड़ा वर्ग	पिछड़े वर्गों की महिला 3%	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग		योग
		अन्य	महिला	अन्य	महिला	अन्य	महिला	अन्य	महिला	अन्य	महिला	महिला	अन्य	महिला	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	बक्सर	16	9	0	0	2	1	3	2	0	0	1	2	2	38
2	डुमरौव	2	3	0	0	1	0	2	1	0	0	8	0	1	18
कुल योग		18	12	0	0	3	1	5	3	0	0	9	2	3	56

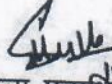
इस प्रकार कुल 56 (छप्पन) ज0वि0प्र0 दुकानों की रिक्तियों को भरने हेतु संबंधित पंचायत/वार्ड के स्थायी निवासियों से विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

- बिहार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016 के अधीन उचित मूल्य की दुकान/जन वितरण प्रणाली दुकान की अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन पत्र (व्यक्तियों के लिए) अनुसूची-1 के प्रपत्र में तथा स्वयं सहायता समूह, महिलाओं/पूर्व सैनिकों की सहयोग समितियों के लिए अनुसूची-2 के प्रपत्र में आवेदन पत्र अनुमण्डल पदाधिकारी, बक्सर/डुमरौव के कार्यालय में निर्धारित तिथि 27.01.2026 से 17.02.2026 तक कार्यालय अवधि अपराह्न 05:00 बजे तक केवल निबंधित डाक के माध्यम से प्राप्त किया जाएगा। निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदन पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।
- उचित मूल्य की दुकान की अनुज्ञप्ति हेतु आवेदक मैट्रिक पास और वयस्क होगा, परन्तु कम्प्यूटर ज्ञान रखने वाले आवेदक को प्राथमिकता दी जाएगी। कम्प्यूटर ज्ञान की समानता होने पर अधिक योग्य को और उसमें भी समानता होने पर अधिक उम्र वाले को प्राथमिकता दी जाएगी।
- अनुज्ञप्ति निर्गत करने में निम्न प्रकार से प्राथमिकता दी जायेगी :- (क) स्वयं सहायता समूह, (ख) महिलाओं की सहयोग समितियाँ (ग) पूर्व सैनिकों की सहयोग समितियाँ (घ) शिक्षित बेरोजगार तथा (ङ) संबंधित पंचायत अथवा वार्ड के निवासियों को प्राथमिकता दी जायेगी।
- निम्नलिखित व्यक्तियों को दुकान आवंटित नहीं किया जायेगा :-
 - एक संयुक्त परिवार में एक से अधिक सदस्य को उचित मूल्य की दुकान आवंटित नहीं की जाएगी। पिता, माता, भाई की पत्नी (भाभी), पति, पत्नी, पुत्र, पुत्रवधु और सौतेला भाई परिवार की परिभाषा में आएंगे।
 - मुखिया, सरपंच, पंच, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति के सदस्य, जिला परिषद के सदस्य, विधायक, विधान पार्षद, सांसद तथा नगर निकायों के निर्वाचित सदस्य इस रूप में अपने कार्यकाल तक उचित मूल्य की दुकान की अनुज्ञप्ति प्राप्त करने हेतु निरर्हित (Disqualified) रहेंगे।

- III. आटा चक्की के मालिक एवं उसके निकट संबंधियों को उचित मूल्य की दुकान आवंटित नहीं की जाएगी।
- IV. अवयस्क या पागल या दिवालिया को उचित मूल्य की दुकान आवंटित नहीं की जाएगी।
- V. आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का केन्द्रीय अधिनियम 10) के अधीन अथवा अन्य किसी आपराधिक मामले में अन्तिम रूप से न्यायालय द्वारा सिद्धदोष व्यक्ति को उचित मूल्य की दुकान की अनुज्ञप्ति आवंटित नहीं की जाएगी।
- VI. सरकार में लाभ का पद धारण करने वाले को उचित मूल्य की दुकान आवंटित नहीं की जाएगी।
5. विज्ञापन प्रकाशन के पूर्व अनुज्ञप्ति हेतु दिये गये आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जायेगा।
6. सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, (पटना) द्वारा निर्धारित प्रक्रिया/प्रावधानों के तहत दिव्यांगो (Handicapped) एवं राज्य के स्वतंत्रता सेनानियों के पौत्र/पौत्री/नाती/नातिन के लिए पद आरक्षित है।
7. अनुमण्डवार/प्रखण्डवार/पंचायतवार/वार्डवार जन वितरण प्रणाली के दुकानों की आरक्षणवार रिक्तियों के संबंध में आवश्यक जानकारी आवेदक जिला आपूर्ति कार्यालय एवं संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी, बक्सर/डुमराँव के कार्यालय के सूचना पट्ट पर एवं बक्सर जिला के वेबसाईट buxar.nic.in से प्राप्त कर सकते हैं।
8. (i) अनुज्ञापन पदाधिकारी प्राप्त आवेदनों को जॉचोपरान्त रिक्तिवार मेधा क्रमांक प्रदर्शित करते हुए अपनी अनुशंसा के साथ औपबंधिक मेधा सूची जिला आपूर्ति पदाधिकारी के माध्यम से जिला स्तरीय चयन समिति को भेजेंगे।
- (ii). तत्पश्चात जिला स्तरीय चयन समिति की अनुमति से औपबंधिक मेधा सूची का प्रकाशन जिला आपूर्ति पदाधिकारी एवं संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी के कार्यालय सूचना पट्ट पर करते हुए प्रकाशन की तिथि से 15 दिनों के भीतर संबंधित जिला आपूर्ति पदाधिकारी के समक्ष लिखित दावा/आपत्तियों को समर्पित करने का अवसर असंतुष्ट आवेदकों को दिया जाएगा।
- (iii). दावा/आपत्ति प्राप्त होने की अंतिम तिथि से 15 दिनों के भीतर प्रत्येक दावा/आपत्ति का विधि-सम्मत निष्पादन करते हुए जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा अंतिम मेधा सूची प्रकाशित की जाएगी एवं प्रत्येक दावा/आपत्ति के निष्पादन के संबंध में संक्षिप्त अभ्युक्ति कारण सहित अंकित की जाएगी।
- (iv). अंतिम मेधा सूची के प्रकाशन में सन्निहित अनुशंसा के विरुद्ध कोई असंतुष्ट आवेदक स्पष्ट कारणों का उल्लेख करते हुए साक्ष्यों के साथ 15 दिनों के भीतर प्रमण्डलीय आयुक्त के समक्ष परिवाद दायर कर सकेंगे। प्रमण्डलीय आयुक्त रिक्तिवार प्राप्त परिवादों का एक साथ निष्पादन करेंगे। साथ ही सभी परिवादों का निष्पादन परिवाद प्राप्ति की तिथि से अधिकतम 30 दिनों के भीतर किया जाएगा।
- (v). वैसे सभी मामलों में जिसमें निर्धारित अवधि के भीतर अंतिम मेधा सूची के विरुद्ध प्रमण्डलीय आयुक्त के समक्ष कोई परिवाद दायर नहीं किया गया हो, अनुज्ञापन पदाधिकारी विहित प्रक्रिया से अनुज्ञप्ति निर्गत करेंगे। किन्तु जिन मामलों में प्रमण्डलीय आयुक्त के समक्ष परिवाद दायर किया गया हो, वैसे मामलों में प्रमण्डलीय आयुक्त के द्वारा आदेश पारित होने के बाद उक्त आदेश के आलोक में अनुज्ञप्ति निर्गत की जाएगी।
- (vi). जिला स्तरीय चयन समिति के निर्णय के विरुद्ध प्रमण्डलीय आयुक्त द्वारा पारित आदेश अंतिम होगा।

नोट :-

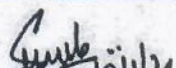
1. आवेदन पत्र के साथ अपना रंगीन पासपोर्ट साईज फोटो (हाल का खींचा हुआ) पांच प्रति में संलग्न करना होगा, जिसमें से एक फोटो आवेदन पत्र पर सबसे ऊपर दांये कोने में चिपकाना होगा।
2. आवेदक को अपना मोबाईल संख्या आवेदन पत्र में हस्ताक्षर के लिए निर्धारित स्थान के ठीक नीचे अंकित करना होगा।
3. आवेदक को आवेदन पत्र के सबसे ऊपर उस पंचायत/वार्ड संख्या एवं आरक्षण श्रेणी अंकित करना होगा, जिस पंचायत/वार्ड एवं आरक्षण श्रेणी के लिए आवेदन कर रहे हैं।
4. शैक्षणिक योग्यता/कम्प्यूटर से संबंधित सभी प्रमाण पत्रों की स्व-अभिप्रमाणित छायाप्रति आवेदन के साथ संलग्न करना होगा।
5. आरक्षित श्रेणी के आवेदक को अंचल अधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र की स्व-अभिप्रमाणित छायाप्रति आवेदन के साथ संलग्न करना होगा।
6. संबंधित पंचायत/वार्ड का निवासी होने का लाभ लेने के लिए अंचल अधिकारी द्वारा निर्गत आवास प्रमाण पत्र की स्व-अभिप्रमाणित छायाप्रति आवेदन के साथ संलग्न करना होगा।
7. आचरण प्रमाण पत्र अथवा कार्यपालक दण्डाधिकारी के स्तर से निर्गत आचरण संबंधी शपथ पत्र की मूल प्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना है।
8. एक से अधिक पंचायत/वार्ड के लिए आवेदन करने पर आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा।
9. आवेदक जिस स्थान पर जन वितरण प्रणाली की दुकान चलाना चाहते हैं, उसका खाता, खेसरा एवं रकबा से संबंधित खतियान/केवाला एवं अद्यतन लगान रसीद की स्व-अभिप्रमाणित छायाप्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना होगा।
10. आवेदक द्वारा इस आशय का स्वघोषणा देंगे कि उनके द्वारा आवेदन पत्र में प्रविष्ट की गई सभी सूचना सही है तथा गलत सूचना पाये जाने पर उनके विरुद्ध कार्रवाई की जायेगी।
11. आवेदन पत्र के अनुसूची 01 एवं 02 का प्रपत्र जिले वेबसाईट **buxar.nic.in** से डाउनलोड किया जा सकता है।


जिला पदाधिकारी,
बक्सर।

बक्सर जिला अंतर्गत सार्वजनिक जन वितरण प्रणाली दुकानों की नई अनुज्ञप्ति निर्गत करने हेतु अनुमण्डलवार/प्रखण्डवार/पंचायतवार/वार्डवार/कोटिवार रिक्तियों की विवरणी :-

[illegible]

ક્રમ	* અનુ મંજૂર	પ્રકાર / નં પરિ કા નામ	પંચાયત/ વાર્ડ સંખ્યા	અનારક્ષિત	અનારક્ષિત (મહિલા)	અનુ જાતિ	અનુ જાતિ (મહિલા)	અનુ જન જાતિ	અનુ જન જાતિ (મહિલા)	અ પિ વર્ગ	અ પિ વર્ગ (મહિલા)	પિ વર્ગ	પિ વર્ગ (મહિલા)	પિ વર્ગ કી મહિલા (3%)	આર્થિક ક્ષેત્ર સે કમજોર વર્ગ	આર્થિક ક્ષેત્ર સે કમજોર વર્ગ (મહિલા)	યોગ	
27	બક્સર સાદર	બક્સર નગર પરિષદ	વાર્ડ નં-29	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
28			વાર્ડ નં-30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
29			વાર્ડ નં-32	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
30			વાર્ડ નં-34	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
31			વાર્ડ નં-35	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
32			વાર્ડ નં-36	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
33			વાર્ડ નં-37	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
34			વાર્ડ નં-40	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
યોગ				16	9	0	0	2	1	3	2	0	0	1	2	2	38	
35	ડુમરૌંવ	સિમરી	સહિયાર	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
36			બ્રહ્મપુર	બ્રહ્મપુર નગર પંચાયત	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
37				ઉ નૈનીજોર	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
38		ડુમરૌંવ	ચિલહરી	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
39			કુશલપુર	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2
40			અટૌંવ	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
41			નુઑંવ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
42			સૌંયોં	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
43			અરિયૌંવ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
44			કસિયૌં	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
45			કોરાન સરાય	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
46			ડુમરૌંવ નગર પરિષદ	વાર્ડ સં-09	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
47		વાર્ડ સં-10		0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
48		વાર્ડ સં-11		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
49		વાર્ડ સં-12		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
50		વાર્ડ સં-13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	
51		વાર્ડ સં-16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	
યોગ				2	3	0	0	1	0	2	1	0	0	8	0	1	18	
કુલ યોગ				18	12	0	0	3	1	5	3	0	0	9	3	2	56	


 જિલા પદાધિકારી,
 બક્સર।

समाहरणालय, बक्सर
(आपूर्ति शाखा)

अनुसूची - 1

बिहार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016 के अधीन उचित मूल्य की दुकान की अनुज्ञप्ति के लिये आवेदन पत्र (व्यक्तियों के लिए)

अनुज्ञापन प्राधिकारी का पदनाम एवं कार्यालय का पता

1. आवेदक की विशिष्टियाँ :-

(क) नाम -

(ख) पिता/पति का नाम -

(ग) शैक्षणिक योग्यता - मैट्रिक ☐ / इंटर ☐ / स्नातक ☐
स्नाकोत्तर ☐ / अन्य ☐

(घ) उच्चतम योग्यता धारित (पूर्ण) करने का वर्ष

(ङ०) उम्र / जन्म तिथि -

(च) स्थायी तथा वर्तमान पता -
(फोन नं०/मोबाईल नं०/ई-मेल पता के साथ)

(छ) कम्प्यूटर ज्ञान -

(ज) आवेदक की कोटि -
(आवेदक जिस कोटि से संबंध रखते हैं)

(झ) आवेदन की कोटि -
(जिस कोटि हेतु आवेदन किया जा रहा है)

2. उचित मूल्य की दुकान का विवरण जिसके लिये अनुज्ञप्ति अपेक्षित है :-

(क) मकान/दुकान संख्या -

(ख) होल्डिंग नं० -

(ग) क्षेत्रफल -

(घ) खाता नं० - एवं खेसरा नं० -

(ङ०) चौहदी -

(च) मुहल्ला/वार्ड नं० -

(छ) ग्राम/शहर -

(ज) थाना -

(झ) जिला -

3. अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत अद्यतन निवास प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।

4. आरक्षण का दावा हो तो आरक्षण वर्ग का उल्लेख करें और जाति प्रमाण पत्र संलग्न करें।

5. व्यवसाय स्थल अपना है या किराया का ? अगर किराया का है तो किराया के इकरारनामा की सत्यापित प्रति संलग्न करें।

6. यदि आवेदक के पास पूर्व से अन्य किसी कारोबार की अनुज्ञप्ति है, तो विवरण दें।

आवेदक का
अभिप्रेमाणित
फोटो

7. क्या आवेदक को आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का केन्द्रीय अधिनियम 10) के अधीन जारी किये गये किसी भी आदेश के उल्लंघन के कारण अथवा अन्य किसी अपराधिक मामलों में अन्तिम रूप से न्यायालय द्वारा सिद्धदोष ठहराया गया है ?
8. क्या आवेदक को किसी न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित या सिद्धदोष ठहराया गया है ?
9. क्या आवेदक के विरुद्ध कोई अपराधिक मामला लंबित है ?
10. क्या आवेदक सरकारी लाभ के किसी पद पर पदस्थापित है ? यदि हाँ तो विस्तृत विवरण दें।
11. क्या आवेदक सरकारी नौकरी में है ? यदि हाँ तो विस्तृत विवरण दें।
12. क्या आवेदक के पास आटा चक्की है ?
13. क्या आवेदक आटा चक्की मालिक का निकट रिश्तेदार है ?
14. क्या आवेदक मुखिया, सरपंच, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति का सदस्य, जिला परिषद् का सदस्य, विधायक, विधान पार्षद, सांसद तथा नगर निकाय का निर्वाचित सदस्य है ?
15. उक्त प्रपत्र की सभी स्तम्भ भरें होने चाहिये, अन्यथा आवेदन अस्वीकृत/अमान्य कर दी जायेगी।
16. जो कॉलम आपसे संबंधित नहीं है उक्त कॉलम पर नही (X) का चिन्ह अवश्य अंकित करें अन्यथा आवेदन अस्वीकृत/अमान्य कर दी जायेगी।
17. आवेदन करने हेतु आवेदन प्रपत्र (Application Form) संबंधित अनुमण्डल कार्यालय/जिला के वेबसाईट से प्राप्त करें।

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता हूँ कि उपर्युक्त वर्णित विशिष्टियाँ मेरी सर्वोत्तम जानकारी तथा विश्वास में सही है एवं उनमें कुछ भी नहीं छिपाया गया है। भविष्य यदि ये असत्य पाये जाते हैं तो मैं कानूनी कार्रवाई का भागी होऊँगा।

“बिहार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, '2016' के प्रावधानों को मैंने सावधानीपूर्वक पढ़/समझ लिया है तथा मैं उनका पालन करने के लिए सहमत हूँ।

स्थान :

दिनांक :

आवेदक का हस्ताक्षर

समाहरणालय, बक्सर

(आपूर्ति शाखा)

अनुसूची - 2

बिहार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016 के अधीन
उचित मूल्य की दुकान की अनुज्ञप्ति के लिये आवेदन पत्र
(स्वयं सहायता समूह, महिलाओं/पूर्व सैनिकों की सहयोग समितियाँ के लिए)

अनुज्ञापन प्राधिकारी का पदनाम एवं कार्यालय का पता -

1. महिलाओं/पूर्व सैनिकों की सहयोग समितियाँ/स्वयं

सहायता समूह की विशिष्टियाँ :-

(क) नाम एवं प्रकार -

(ख) निबंधन संख्या एवं वर्ष -

(स्वयं सहायता समूह के लिए गठन का वर्ष वर्तमान ग्रडिंग के साथ)

(ग) कार्यालय का पता -

(घ) मुख्य पेशा एवं कार्य क्षेत्र -

(ङ) प्रबंध समिति के अध्यक्ष/प्रधान एवं सदस्यों का विवरण -

(निर्वाचन प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि संलग्न करें)

(च) अधिक्रमित होने की स्थिति में नियुक्त प्रशासक का नाम एवं पदनाम का उल्लेख करें -

2. उचित मूल्य की दुकान का विवरण जिसके लिए अनुज्ञप्ति अपेक्षित है -

3. महिलाओं/पूर्व सैनिकों की सहयोग समितियाँ/स्वयं सहायता समूह की प्रबंध समिति के द्वारा

आवेदन करने हेतु प्राधिकृत व्यक्ति से संबंधित सूचनाएँ :-

(क) नाम -

(ख) पिता/पति का नाम -

(ग) स्थायी पता -

(घ) पत्राचार का पता -

(ङ) फोन नं०/मोबाईल नं०/ई-मेल पता -

(च) शैक्षणिक योग्यता - मैट्रिक ☐ / इंटर ☐ / स्नातक ☐

स्नाकोत्तर ☐ / अन्य ☐

(छ) कम्प्यूटर ज्ञान -

4. आरक्षण का दावा हो, तो आरक्षण वर्ग का उल्लेख करें एवं प्रबंध समिति के प्रधान सहित सभी सदस्यों की जाति प्रमाण पत्र संलग्न करें।

5. व्यापार स्थल का विवरण :-

(क) मकान/दुकान संख्या -

(ख) होल्डिंग नं० -

(ग) क्षेत्रफल -

आवेदक का
अभिप्रेमाणित
फोटो

- (घ) खाता नं० - एवं खेसरा नं० -
(ङ०) चौहदी -
(च) मुहल्ला/वार्ड नं० -
(छ) ग्राम/शहर -
(ज) थाना -
(झ) जिला -
(ञ) गोदाम की भंडारण क्षमता -

6. दुकान या गोदाम का स्थल अपना है या किराये का ? अगर अपना है तो दस्तावेजों की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करें और अगर किराया का है तो किराया के इकरारनामा की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करें।
7. यदि महिलाओं/पूर्व सैनिकों की सहयोग समितियाँ या स्वयं सहायता समूह के पास पूर्व से अन्य किसी कारोबार की अनुज्ञप्ति है, तो इसका विवरण दें।
8. यदि महिलाओं/पूर्व सैनिकों की सहयोग समितियाँ या स्वयं सहायता समूह के पास उपलब्ध चलती पूंजी का विवरण (आवेदन की तिथि को बैंक खाता एवं उनमें उपलब्ध राशि का विवरण दें)
9. उक्त प्रपत्र की सभी स्तम्भ भरें होने चाहिये, अन्यथा आवेदन अस्वीकृत/अमान्य कर दी जायेगी।
10. आवेदन करने हेतु आवेदन प्रपत्र (Application Form) संबंधित अनुमण्डल कार्यालय/जिला के वेबसाईट से प्राप्त करें।

मैं एतद्वारा की तरफ से इसकी प्रबंध समिति की बैठक में दिनांक को पारित प्रस्ताव संख्याद्वारा अधिकृत किये जाने के आलोक में घोषणा करता/करती हूँ कि उपर्युक्त वर्णित विशिष्टियाँ मेरी सर्वोत्तम जानकारी तथा विश्वास में सही हैं एवं उनमें कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

मैं, यह भी घोषणा करता हूँ कि की प्रबंध समिति ने "बिहार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016" के प्रावधानों को पढ़/समझ लिया है तथा वह उनका पालन करने के लिए सहमत है।

सहयोग समिति/स्वयं सहायता समूह के
प्रधान का हस्ताक्षर -
नाम -
पदनाम -
सहयोग समिति/स्वयं सहायता समूह
का नाम -

आवेदन करने हेतु प्राधिकृत व्यक्ति
का हस्ताक्षर -
नाम -
पदनाम -
सहयोग समिति/स्वयं सहायता समूह
का नाम -